न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

मु.न. 28 / 2018

उनवान

भैरूदान पुत्र श्री कल्याणदान, जाति चारण, उम्र 78 वर्ष करीब, निवासी ग्राम विशनपुरा चारणवास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र प्रभात
2. मंगलचन्द पुत्र प्रभात
3. श्रवण पुत्र प्रभात
4. सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम
5. रोहित पुत्र सीताराम (नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम)
6. सलोनी पुत्री सीताराम (नाबालिग जरिये संरक्षिका माता सुमित्रा देवी पत्नी सीताराम) समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम विशनपुरा चारणवास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 04.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वह वाके ग्राम विशनपुरा चारणवास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 989 रकबा 0.25 हैक्टेयर का सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2018 को श्रीमान तहसीलदार महोदय चौमूं के आदेश क्रमांक भू0सी0 / 2018 / 1932 दिनांक 11.05.2018 की पालना में पटवारी हल्का विशनपुरा उर्फ चारणवास व पटवारी हल्का अमरपुरा के द्वारा ग्राम विशनपुरा उर्फ चारणवास, तहसील चौमूं के स्थित खसरा नम्बरान के मौके पर सीमाज्ञान मौके पर पहुँच कर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष खसरा नम्बर 989 की सीमा पर स्थित चौमेढा से जरीब चला कर कायम की गई, तथा सीमाज्ञान की रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर करवाये गये थे, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बर 989 की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिस हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थी की हिस्से की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रार्थी को उसके कब्जे शुदा एवं स्वामित्व की उक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं करवाने दे रहे है तथा उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 प्रार्थी के पड़ोसी काश्तकार व्यक्ति है। दिनांक 07.07.2018 को प्रार्थी सीमाज्ञान अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी करने लगे तो उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 लठ्ठार्ड झगड़ा करने लगे और पत्थरगढ़ी नहीं करने दी, जिस कारण यदि पत्थरगढ़ी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जे शुदा स्वामित्व की भूमि

Scanned with CamScanner

का स्पष्ट सीमांकन करवाकर उपयोग उपभोग कर सकेगा तथा प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी के लिये अप्रार्थी संख्या 7 को आदेश दिया जाना अति आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी के आदेश अप्रार्थी संख्या 7 को दिये जाने की कृपा करे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 06.06.2019 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2018 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 15:31:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: